सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 565 दर्ज तिथिः—04.08.2025

1. लादुराम पुत्र रामकिशोर
2. जयप्रकाश पुत्र रामकिशोर
   जाति अग्रवाल निवासी गुड़ामालानी
3. दिपाराम पुत्र गजाराम
   जाति पुरोहित निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र दुर्गाराम
   जाति मेगवाल निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी—बाड़मेर।

..... प्रतिवादी

2. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैक शाखा गुड़ामालानी
3. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीः—श्री प्रागाराम बोगराज

वाद अन्तर्गत धारा—183, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—02.01.2026

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या मूल खसरा संख्या 472 / 215 / 0.5662 है0 विभाजित खसरा संख्या 633 / 472 / 0.6849 है0 एवं 632 / 472 / 0.1052 है0 वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के

पड़ौस में प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 214/9/0.3237 है0 वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। वादी की आराजी मूल खसरा 472/215 का हाजा न्यायालय से तरमीम शुद्ध करने के आदेश की पुश्त पर नामान्तरकरण संख्या 2178/2025 पारित किया गया। जिसके पश्चात मूल खसरा संख्या 472/215/0.7901 है0 दर्ज हुआ। तत्पश्चात वादीगण पक्षकारों ने अपने हिस्से की भूमि में आंशिक हिस्से का हस्तान्तरण जरिये रजिस्ट्री करने से मूल खसरा संख्या 472/215 के स्थान पर खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0 अंकित किया गया। अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी हेतु वादीगण द्वारा दायर नेखमबंदी आवेदन संख्या 2023/176 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2024 द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश की पालना में भू—अभिलेख निरीक्षक वृत्त गुड़ामालानी एवं हल्का पटवारी आलपुरा ने दिनांक 28.06.2025 तथा 13.07.2025 को मौका निरीक्षण एवं मौका जमीन नापकर मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुए सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया। जिसमें वादीगण के खसरा संख्या 472/215 (विभाजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) में पड़ौसी खसरा संख्या 214/9/0.3237 के खातेदार प्रतिवादी का मौका फर्द दिनांक दिनांक 28.06.2025 तथा 13.07.2025 में दर्शायी बरंग लाल भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया। जिस पर वादी ने प्रतिवादी को कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादी ने कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया हैं। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा मौका फर्द दिनांक दिनांक 28.06.2025 तथा 13.07.2025 में दर्शायी बरंग लाल भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादी को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादीगण को कब्जा दिलवाकर वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 जरिये अधिवक्तागण हाजिर न्यायालय हुए। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा संशोधित वादपत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे अंतिम बहस करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम करना आवश्यक नहीं होने के कारण पत्रावली को साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया। तत्पश्चात वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करते हुए सीधे अंतिम बहस करने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा दो प्रमुख अनुतोष चाहे गए है। वादीगण का प्रथम अनुतोष वादीगण की खातेदारी आराजी मूल खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) के आंशिक भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 के अवैध कब्जा बरंग लाल को हटवाने हेतु प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। द्वितीय अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है।

4. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

183. Ejectment of certain trespasser—

(1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

7. प्रकरण में वादीगण अनुसार प्रतिवादी की आराजी के सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 28.06.2025 तथा 13.07.2025 के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादी कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग बरंग लाल पर प्रतिवादी का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

8. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 214/9/0.3237 है0 वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। यह एक तरह से वादी के दावे की स्वीकारोक्ति ही है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।

9. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादी को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। यह एक तरह से वादी के दावे की स्वीकारोक्ति ही है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः—

> ***(44) "Trespasser"*** *shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;*

10. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे बरंग लाल को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। यह एक तरह से वादी के दावे की स्वीकारोक्ति ही है। अतः प्रकरण में प्रथम अनुतोष स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर किए गए कब्जे को हटाकर प्रतिवादी को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम द्वितीय अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

12. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

13. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

14. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादी का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव नहीं है। क्योंकि वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किए गए अवैध कब्जे से वादीगण को कई

		प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान होते है। वादीगण को अपनी खातेदारी आराजी पर किसी अन्य व्यक्ति के अवैध अतिक्रमण से होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान नुकसान के आंकलन हेतु कोई स्पष्ट मानक/मापदंड निर्धारित प्रतीत नही होता है। 2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव नहीं होकर न्यायसंगत होना प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक	

	भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है। 2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। वादीगण द्वारा इस हेतु बेदखली का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा

		संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

15. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादीगण की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं

632/472/0.1052 है0) वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 28.06.2025 तथा 13.07.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार आंशिक भाग बरंग लाल पर प्रतिवादी का कब्जा अवैध होना तथा प्रतिवादी का अतिक्रमी घोषित होने के आधार पर प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत् अनुतोष स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत न करने के साथ ही प्रतिवादी वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर बेदखली नहीं करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/565 दर्ज तिथिः–04.08.2025

1. लादुराम पुत्र रामकिशोर
2. जयप्रकाश पुत्र रामकिशोर
   जाति अग्रवाल निवासी गुड़ामालानी
3. दिपाराम पुत्र गजाराम
   जाति पुरोहित निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी–बाड़मेर।

.......................वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र दुर्गाराम
   जाति मेगवाल निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी–बाड़मेर।

.... प्रतिवादी

2. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैक शाखा गुड़ामालानी
3. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः– श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीः–श्री प्रागाराम बोगराज

वाद अन्तर्गत धारा–183, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

वादीगण का दावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215 (नवसृजित खसरा संख्या 633/472/0.6849 है0 एवं 632/472/0.1052 है0)

वाके ग्राम आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 28.06.2025 तथा 13.07.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार आंशिक भाग बरंग लाल पर प्रतिवादी का कब्जा अवैध होना तथा प्रतिवादी का अतिक्रमी घोषित होने के आधार पर प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत् अनुतोष स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत न करने के साथ ही प्रतिवादी वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर बेदखली नहीं करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

यह डिक्री आज दिनांक 02.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर